संख्याः 76- भू0कय/18(1)/2006

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांक: 07 जून, 2006

विषयः—मै0 एक्सोम फार्मास्यूटिकल को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील कालाढूंगी के ग्राम हरिपुर धमोला में कुल 2.835 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—917/12—ज्येड0ए0सी0/06 दिनांक 30 मई, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 एक्सोम फार्मास्यूटिकल को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत तहसील कालाढूंगी के ग्राम हरिपुर धमोला मे कुल 2.835 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा—167 के परिणाम लागू होंगे।

(2)

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/रोजगारोन्मुख उपलब्ध कराया जायेगा।

7- भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त होने तक किसी प्रकार का पूंजी निवेश इकाई में नहीं करना होगा। सम्बन्धित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन करना होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

8- राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जी0आई0डी0सी0आर0-2005 के अनुरूप फैक्ट्री का निर्माण कार्य किया जायेगा।

9- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
4- श्री अशोक जैन, पार्टनर मै0 एक्सोम फार्मास्यूटिकल्स, 144 दामजी श्यामजी इण्डस्ट्रीय काम्पलैक्स, 28 महाल इन्डस्ट्रीयल इस्टेट आफॅ महाकाली केव्स अधेरी ईस्ट, मुम्बई।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।